फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

भौरीलाल बनाम ग्राम पंचायत लांगडियावास वगै0

मुकदमा संख्या : 225/2025 (रिव्यू प्रा0 पत्र)

क्रम सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी (फूलचन्द) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील नामा0 सं0 105 दिनांक 27.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई थी जिस पर बहस के बाद दिनांक 07.08.2025 को अपील का निर्णय किया जाकर स्वीकार किया है। जिसकी आज दिनांक तक अपील नही की गयी है। जिसका रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ग्राम मथूरादासपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 213, 539, 267, 297, 298, 330, 337, 338, 365, 422, 98 मे नाओलाद गंगाराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/5 भाग का विरासती नामा0 सं0 105 दिनांक 27.11.2022 को ग्राम पंचायत लांगडियावास द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य के विधि सम्मत दिनांक 24.11.2022 को मौका रिपोर्ट ग्राम मथूरादासपुरा जाकर मौके पर मृतक खातेदार के वारिसों के संबंध में ग्रामवासियों से जानकारी की गई और मौका रिपोर्ट पर रामचन्द, हनुमान, हुक्मचन्द वारिसों के अलावा ग्रामवासी सीताराम, रामकल्याण, मोतीलाल, राहुल, बाबूलाल, गणेश, मूलचन्द के हस्ताक्षर करवा कर गौर किये ही निर्णय पारित कर दिया। इस लिये उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। ग्रामवासियों द्वार बनाये अनुसार गंगाराम नाओलाद होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 के वारिस नही होने के आधार पर अनुसूची के वर्ग 2 के अनुसार विधिक वारिसों के विरासती नामा0 नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के तहत खोला गया है तथा रिव्यू प्रार्थना को रिकार्ड पर लिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। राजस्व मण्डल की पत्रिका राविरा के अनुसार नामा0 की स्वीकार करने की प्रकिया इस प्रकार है। उत्ताराधिकार संबंधी मामलों के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अन्तर्गत काश्तकार की मृत्यु के बाद उसकी भूमि का विरासती नामा0 पटवारी द्वारा जॉच कर संबंधित कॉलम में इन्द्राज करने के बाद गिरदावर से कॉलम की जॉच करवाने के बाद पटवारी हल्का ग्राम पंचायत में पेश करने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा 30 दिवस में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को केवल 1–न्यायालय के आदेश के नामा0, 2– आंवटन के नामा0, 3– वसीयत के नामा0, 4– 30 दिवस मे ग्राम पंचायत द्वारा नही खोलने वाले नामा0 को ही तहसीलदार को खोलने का अधिकार है। उक्त अपील का अभी निर्णय नही लिखा गया है तथा निर्णय होल्ड किया जाकार रिव्यू प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। अप्रार्थी भौरीलाल की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारिक ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह अपीलीय निर्णय बाबत पेश किया गया है जो अन्तर्गत आदेश 47 सीपीसी पेश किया गया है। जो अनुज्ञेय नही है। आदेश दिनांक 07.08.2025 की अपील प्रार्थी द्वारा पेश कर दी गई है और अपीलीय निर्णय बाबत रिव्यू चलने योग्य नही है। जब कोई नये साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किये गये और पुनर्विलोकन/रिव्यू को उचित ठहराने के लिये अभिलेख के मुख पर कोई प्रकट त्रुटि नही बताई गई तो याचिका खारिज की जावेंगी। आरआरडी–93,पी–283 पुनर्विलोकन/रिव्यू कार्यवाही अपील के रूप मे नही होती, पुनर्विलोकन/रिव्यू में साक्ष्य का पुनः मुल्याकंन नही किया जा सकता, पुनर्विलोकन/रिव्यू का क्षेत्र अपील की भांती व्यापक नही होकर सिमित है। पुनर्विलोकन/रिव्यू तभी अनुज्ञेय है, जब नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चले, अर्थात कोई नये तथ्य प्रकाश मे आये, जो डिक्री या आदेश पारित करने के समय उचित प्रयास के बावजूद उसके ज्ञान में नही था, या उसके द्वारा पेश नही किया जा सका था।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पुनर्विलोकन/रिव्यू का उद्देश्य यह नही कि पहले उठाये गये तर्को पर पुनः विचार किया जावें। जो कुछ सही या गलत विचार विमर्श किया गया और अनुमान प्राप्त किये गये वे सब आगे अपील या पुनरीक्षण की विषय सामग्री हो सकती है परन्तु पुनर्विलोकन/रिव्यू केवल तभी हो सकता है जबकि अभिलेख पर कोई स्पष्ट त्रुटि हों। (आरआरडी–93, पी–512)। विधि का त्रुटिपूर्ण या गलत प्रयोग करना प्रकट त्रुटी नही है। रिव्यू इस आधार पर चलने योग्य नही है। (आरआरडी–91, पी–283), रिव्यू की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनरीक्षण अथवा पुर्ननिर्णय लिखने हेतु नही किया जा सकता, रिव्यू की व्याप्ति (स्कोप) बहुत सिमित है, रिव्यू में नये बिन्दू नही उठाये जा सकते। निर्णय करने वाला न्यायालय अपील में नही बैठ सकता है। रिव्यू की मियाद 30 दिवस की है, समन हेतु धारा 5 का आवेदन नही किया, विलम्ब के आधार नही बतायें। पुनर्विलोकन/रिव्यू याचिका चलने योग्य नही, खारिज योग्य है। पूर्व में उठाये गये समान तथ्यों पर मामले में पुनः बहस की पुनः सुनवाई रिव्यू में अनुज्ञेय नही है। प्रार्थी ने अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 25.08.2025 को उक्त निर्णय की अपील पेश कर दी है और अपीलिय आधारों पर रिव्यू चलने योग्य नही है। मद सं0 2 के कथनों में ली गई आपत्तियां अपील में की जाने वाली आपत्तियां है जो कि प्रार्थी ने न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश कर दी है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नही है। रिव्यू का स्कोप बहुत संक्षिप्त है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित की गई आपत्यिों के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर तथा बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन एवं मनन करने पर पाया कि प्रस्तुत पुनर्विलोकन/रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अपीलिय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया है तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसे कोई तथ्यो प्रस्तुत नही किये जिससे प्रकरण में कोई त्रुटि की हो या ऐसा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो प्रकरण में प्रस्तुत करने से रह गया हों। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन/रिव्यू प्रार्थना पत्र आदेश 41 सीपीसी को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर